बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

Truth Will Triumph

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

पत्र संख्या.....30.....

पटना
दिनांक 18/6/2001

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- श्री जगन्नाथ मंडल, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी, गिरीडीह को निलम्बन से मुक्त कर विभागीय कार्यवाही समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा शीघ्र अन्तिम निर्णय लेने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ मंडल, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी, गिरीडीह से प्राप्त आवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया इसे सांगोपांग पढ़ने का कष्ट करने की कृपा करें । यह मामला बहुत ही मानवीय एवं संवेदनशील है । ऐसे सदृश्य मामले में हमारे बहुत सारे पदाधिकारी सरकार द्वारा सी०बी०आई{केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो} के द्वारा घोटाले की जाँच के तहद प्रताड़ित हुए हैं चाहे वो एक दिन के लिये भी कोषागार पदाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रभार में रखे गये हों या कुछ अवधि के लिये ।

भवदीय को अनुभव है कि जिला पदाधिकारी के रूप में ऐसी स्थिति में अपने प्रशासनिक पदाधिकारी को अपने कार्यों के अतिरिक्त कोषागार के कार्य करने/निर्बंधन का कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है । इन कार्यों के लिए विभागीय पदाधिकारी ही प्रशिक्षित एवं दक्ष होते हैं । बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को ऐसा न कुशल प्रशिक्षण रहता है और न दक्ष होते हैं । लेखा सम्बन्धी कार्य का प्रशिक्षण ही प्रशिक्षण के दरम्यान दिया जाता है । अपने कार्यों के साथ-साथ कुछ समय निकालकर उन्हें जिला पदाधिकारी के आदेश का पालन करना होता है । स्पष्ट है

.....पृ0/2

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

Truth Will Triumph

पत्र संख्या.....

पटना
दिनांक.....

है कि सभी नियम/उप नियम के आधार पर प्रत्येक विपत्र की जाँच सामने स्वयं सभी निकासी पदाधिकारी के Specimen Signature मिलान के बाद पारित करना संभव नहीं है । इसलिये नीचले स्तर पर सहायक एवं लेखापाल इनकी जाँच करते हैं एवं उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि सीमित समय में दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है ।

इस प्रासंगिक मामला, जो वाणिज्य-कर विभाग से ही संबंधित है, वाणिज्-कर विभाग के ही कोषागार पदाधिकारी भी बड़ी राशि के अवैध निकासी में फँस गये हैं, के सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग के द्वारा प्रतिमाह नियमानुसार विपत्रों से निकासी की गई राशि का कोषागार से मिलान किया जाता रहा एवं टी०भी०नं० प्राप्त किया जाता रहा । परन्तु कभी भी ऐसे मिलान उपरांत अवैध निकासी की सूचना विभागीय पदाधिकारी या कोषागार को नहीं दी गई और न भारतीय स्टेट बैंक गिरीडीह के द्वारा भी कभी संदेह व्यक्त किया गया । ज्ञातव्य हो कि निकासी पदाधिकारी का स्पेसीमेन सिगनेचर कोषागार एवं बैंक दोनों जगह रहता है एवं दोनों जगह जाँच होता है ।

यह भी ज्ञातव्य हो कि श्री मंडल के द्वारा पारित विपत्रों की जाँच तत्कालीन उपायुक्त, गिरीडीह द्वारा एक अति त्री-सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई एवं इस समिति ने कहीं भी श्री मंडल की संलिप्तता नहीं पायी न इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई और न पुलिस अनुसंधान में ही इनकी संलिप्तता, लापरवाही या सतर्कता का अभाव ही पाया गया । इन्हें छोड़ अन्य के विरूद्ध साक्ष्य पाकर आरोप पत्र समर्पित किया गया ।

.....पृ0/3

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O) 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू॰ एन॰ सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी॰ एल॰ दास)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

Truth Will Triumph

पत्र संख्या..........................

पटना
दिनांक..............................

श्री मंडल के विरुद्ध गठित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल ने भी अपने अन्तिम प्रतिवेदन, जो दिनांक-01-03-2000 को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में भेजी गई है, में इन्हें दोषी नहीं माना गया है ।

भवदीय को स्वयं आश्चर्य होगा कि विभागीय कार्यवाही के प्रतिवेदन को लगभग एक वर्ष तीन महीना पूर्व प्राप्त होने पर भी आज तक इनके निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही पर सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सका है, जिसमें इनका न कोई दोष है और न दायित्व का अभाव ।

ज्ञातव्य हो कि ऐसे मामले में नियमानुसार निलंबन भत्ता की भी बढ़ोत्तरी नहीं हुई और इनके परिवार की जो दयनीय स्थिति है, वह तो है ही, बच्चों की शिक्षा-दीक्षा भी बंद होने के कगार पर हैं । ये अपने परिवार के एक मात्र उपार्जन करने वाले पारिवारिक सदस्य हैं ।

उपर्युक्त स्थिति में अनुरोध है कि श्री मंडल के विरुद्ध गठित विभागीय कार्यवाही के प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर अविलम्ब निर्णय लिया जाय एवं एक भरे-पूरे निर्दोष परिवार एवं पदाधिकारी श्री को आर्थिक/मानसिक प्रताड़ना से मुक्त किया जाए ।

ह०/-
§ गंगाधर लाल दास §
महासचिव ।

ज्ञाप संख्या- 30 पटना, दिनांक- 18 जन, 2001 ई० ।

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18.6.2001

§ गंगाधर लाल दास §

उल्लेखनीय है कि कुल 14 §चौदह§ विपत्रों के माध्यम